राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–24/2018/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, वृत्त बी, भरतपुर ...अपीलार्थी

बनाम

ओरियन्ट सेल्स, छीपी मोहल्ला,
बासन गेट, भरतपुर ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री विनय गोयल
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 33/सीएसटी/2017–18/अ.प्रा./भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त बी, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957 के नियम 17(20) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 02.11.2015 द्वारा 'सी' फार्म सं. 61 राशि रू 8,17,93,879/– को निरस्त किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'सी' फार्म समर्थित खरीद के सत्यापन हेतु फर्म के व्यवसाय स्थल पर जाने पर न तो फर्म के प्रोपराईटर और न ही उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित मिला। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को राजस्थान वैट एक्ट 2003 की धारा 75(1) के तहत समस्त लेखा पुस्तकों सहित वास्ते सत्यापन कार्यालय में दिनांक 17.06.2015 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। पेशी दिनांक पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत ब भरतपुर द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि घोषित व्यवसाय स्थल पर फर्म प्रोपराईटर नहीं मिला न ही किसी फर्म का संचालन होना पाया गया। व्यवहारी को नोटिस जारी किये जाने पर नोटिस तामील नहीं हुआ क्योंकि व्यवहारी व्यवसाय स्थल पर व निवास पर उपस्थित नहीं मिला। कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुए कि व्यवहारी द्वारा कोई व्यापार नहीं किया जा रहा है व वैधानिक घोषणा पत्र प्राप्त करने हेतु पंजीयन लिया है, विभागीय वेबसाईं से जरनेट किये गए समस्त 'सी' फार्म सं. 61 राशि रू. 8,17,93,879/– को केन्द्रीय बिक्री कर नियम 1957 के नियम 17(20) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 02.11.2015 द्वारा निरस्त कर दिया। व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी के इस तर्क के आधार पर कि उसके व्यवसाय स्थल परिवर्तित कर लिया था, प्रकरण व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है कि व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि व्यवसाय स्थल परिवर्तित कर लिया था परन्तु अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि व्यवसाय स्थल परिवर्तित करने की कोई सूचना कर निर्धारण अधिकारी को नही दी थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं हैं। इन्होंने अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखने हेतु अनुरोध किया।

5. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा 'सी' फार्म के सत्यापन हेतु फर्म के व्यवसाय स्थल पर जाने पर न तो फर्म का प्रोपराईटर मिला और न ही किसी फर्म का संचालन होना पाया गया। इस कारण सक्षम अधिकारी द्वारा फर्म के विरूद्व कार्यवाही करते हुए जारी 'सी' फार्म निरस्त किए गए। इस संदर्भ में व्यवहारी का यह कथन है कि फर्म के प्रोपराईटर द्वारा दिनांक 04.07.2014 को व्यवसाय स्थल परिवर्तन कर लिया गया था। इस कारण उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए एक भी नोटिस प्राप्त नहीं हुए। विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समय किरायानामा, क्रय बिलों, बैंक ट्रांजेक्शन स्टेटमेन्ट व ट्रांसपोर्ट कम्पनी के बिल की छाया प्रति पेश की गई थी। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि व्यवहारी को जो नोटिस जारी किए गए थे वह उसके पुराने व्यवसाय स्थल के पते पर किए गए थे। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का भी मुख्य तर्क है कि उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए। व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो किरायानाम, क्रय बिलों, बैंक ट्रांजेक्शन स्टेटमेन्ट व ट्रांसपोर्ट कम्पनी के बिल की छाया प्रति दी गई है माल के संचलन/गमनागमन/परिवहन के संबंध में पेश किए गए दस्तावेज अति–महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जिनके जांच की आवश्यकता होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है इससे जहाँ एक ओर व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्राप्त हो सकेगा वहीं दूसरी ओर साक्ष्यों का परीक्षण भी संभव हो सकेगा। इस खण्डपीठ की विनम्र राय के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

20/09/18

(नत्थूराम)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य